2016 का विधेयक संख्यांक 222

[दि कांस्टिट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 में, खण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- अनुच्छेद 338 का संशोधन।

5 ''(5क) राष्ट्रीय आयोग द्वारा खण्ड (5) के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें ऐसी सिफारिशें किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होंगी, और उनके द्वारा लागू की जाएंगी।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के अनुच्छेद 338 में उपबंध है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान तथा तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों को मॉनीटर करेगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है, लेकिन वांछित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस असफलता का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा उनकी रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को सरकार अनुशंसाकारी स्वरूप की मानती है। इन सिफारिशों को जब लागू किए जाने की बात आती है तो सरकार गंभीरता से नहीं लेती। इसलिए, यह उपबंध करने की दृष्टि से संविधान का संशोधन आवश्यक है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा उनकी रिपोर्टों में की गई सिफारिशें ऐसी सिफारिशें किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होंगी, और उनके द्वारा लागू की जाएंगी।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
8 जुलाई, 2016
17 आषाढ़, 1938 (शक)

उदित राज

उपाबंध

भारत के संविधान से उद्धरण

* * * * * *

338. (*1*) अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।

* * * * * *

(**5**) आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह,—

* * * * * *

(**च**) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

* * * * * *

लोक सभा

———

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

———

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—2787LS(S3)—28-10-2016.